**International Journal of Hindi Research**
**ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22**
**www.hindijournal.com**
**Volume 3; Issue 2; March 2017; Page No. 76-79**

# राजस्थान के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका

[1] Dr. Bhupendar Kumar Dular, [2] Mahesh Kumar Yadav
[1] S.K.Govt. Commerce P.G. College, Sikar, Rajasthan, India
[2] Research Scholar, Department of EAFM, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

## प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के समस्त राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमण्डलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रकार संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में पांचवीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से सम्बन्धित है।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज का अध्ययन निम्न तीन भागों में किया गया है –

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सिद्धान्त
- भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व्यवहार 1950–1992
- भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व्यवहार 1993 – आज तक।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रमुख रूप है। पंचायत राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। इसका अर्थ होता है सता का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक जनता को सत्ता में भागीदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। इसे मासरूट डेमोक्रेसी के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रति प्रयास –

स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान निर्माता भी पंचायतों के महत्व से परिचित थे। अतः उन्होंने 1950 के संविधान में निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार पंचायत का विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 40वें अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया। अतः स्थानीय सरकार को संवेधानिक महत्व प्रदान किया गया परन्तु उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित करने एवं उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास किये पंचायतें गठित भी हुई परन्तु वास्तव में जमीनी तौर पर कुछ नहीं हुआ। वास्तव में स्वायत शासन की संस्थाऐं नहीं बन सकती। अगर विभिन्न राज्यों में पंचायतें बनी भी तो उन पर राज्य का नियन्त्रण रहा। पंचायतें अपने अस्तित्व के लिए राज्य सरकार पर निर्भर थी। इसलिए जो कार्य पंचायतों को सोपें गये उन्हें वे पूर्ण नहीं कर सकी और कुल मिलाकर सता के विकेन्द्रीकरण की बात कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। दूसरे ग्राम स्तर पर पंचायत नेतृत्व के प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई। अतः पंचायतों का जो हाल स्वतन्त्रता के पूर्व था उसमें कोई खास अन्तर नहीं आया। स्वतंत्र भारत की सरकार पर विभिन्न समितियों का गठन अवश्य किया गया। अप्रेल 1949 में स्थानीय वितानुसंधान समिति की रिपोर्ट। स्वतंत्रता के बाद योजनाओं का युग प्रारम्भ हुआ। देश के समक्ष अनेक समस्याऐं थी। सरकार ने गांवों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का काम स्वयं अपने हाथ में ले लिया। इसलिए 1952 में ग्रमीण विकास के सघन विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत हुई। वर्ष 1953 में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्थापित की गई।

भारत में आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं की शुरूआत जिस स्वप्न को लेकर की गई थी, वह पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यह नहीं का जा सकता कि हम 'ग्राम स्वराज' के मार्ग से पूर्णतया फिसल गए है या विफल हो गए है लेकिन अभी तक की यात्रा उत्साहजनक कम तथा अफसोस से भरी अधिक दिखाई देती है।

## भारत में पंचायती राज : उज्जवल पक्ष

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के मूल्यांकन से सम्बन्धित कतिपय सकारात्मक पक्ष इस प्रकार कहे जो सकते हैं –

1. शासन प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ रूप अर्थात 'लोकतन्त्र की ग्राससरूट' स्तर पर स्थापना पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा अपेक्षित ग्रामजनों को आवाज एवं जुबान दोनों दी है। इस सुख को हावी बता सकता है जिसने इस वास्तव में भोगा है। स्वतंत्रता के इन छः दशकों में विश्व भर में कौतुहल का विषय रहा है कि तमाम प्रकार की विसंगतियों एवं विविधताओं के उपरान्त भी भारतीय लोकतंत्र जीवित कैसे हैं? विगत के कुछ दशक निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए झंझावत ही थे जो उसने अपनी सनातन परम्परा के द्वारा सहज ही झेले भी हैं। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में कम मतदान की जो उदासीनता प्रदर्शित होती है वह पंचायत चुनाव में उड़ान छू हो जाती है। वह पंचायत चुनाव में उड़न छू हो जाती है। वैसे भी स्थानीय संस्थाऐं विशेषतः पंचायती राज लोकतन्त्र की पाठशाला कही जाती है आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहा जाता है क्योंकि भारत में न केवल संघीय एवं प्रांतीय सरकारें प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का सशक्त प्रमाण है। बल्कि नगरीय एवं ग्रमीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें भी हैं।

ग्रामीण भारत का मतदाता सामान्यतः छः प्रकार की जनप्रतिनिधि चुनता है –

- लोकसभा का सांसद
- विधानसभा का विधायक
- सरपंच
- वार्ड पंच
- पंचायत समिति
- पंचायत समिति प्रतिनिधि
- जिला परिषद् प्रतिनिधि

भारत में कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 31 लाख है। जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 22 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिसमें 40 प्रतिशत से भी अधिक (9 लाख) महिलाऐं हैं। सामान्यतः हर वार्ड पंच के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 340 व्यक्ति (70 परिवार) सम्मिलित होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।

2. 73वें संविधान के पश्चात् पंचायतीराज संस्थाओं को संस्थागत या संरचनात्मक (ढ़ाचा) स्वरूप प्राप्त हो चुका है अर्थात् इन संस्थाओं की स्थापना, निर्वाचन तथा आरक्षण व्यवस्था नियमित प्रक्रिया बन चुकी है जो कि पूर्व के दशकों में स्थायित्व प्राप्त नहीं था। अब चाहे कैसी भी विषय परिस्थितियां हो, ये संस्थाऐं विद्यमान रहेंगी। हाँ इनका कार्यक्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। लेकिन कदम आगे की ओर बढ़ेंगे यह निश्चित हो चुका है।
3. आरक्षण की सुविधा के चलते अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो (कुछ राज्यों में) के व्यक्तियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। पूर्ववर्ती पंचायतों में प्रायः गांव के प्रभुत्व जाति के धनी एवं रौब–दाब वाले व्यक्ति सरपंच इत्यादि बनते थे। किन्तु आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। यदि यह कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों आयी राजनीतिक चेतना अपने आप में एक क्रांति है तो कोई अतिश्याक्ति न होगी। आज राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति ये है कि यह वर्ग सरकार निर्धारित करने में सबसे सशक्ति ताकत सिद्ध हो रहा है।
4. महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण ने पुरूष समाज में घुंघट में सिसक रही 'आधी दुनिया' की सारी दुनिया ही बदल दी है। आज अकेले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 1,20,553 जनप्रतिनिधियों में से 40, 543 सदस्य महिलाऐं हैं जो 33.33 प्रतिशत से भी अधिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जन प्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख महिलाऐं हैं। ज्ञात रहे देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जबकि राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 42 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाऐं है तथा कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित जनप्रतिनिधियों में 45 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि है। चाहे पुरूषों को स्वीकार है या नहीं किन्तु एक तिहाई गांवों की पंचायतें महिलाऐं संभाल रही हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखिए – राजस्थान में 73वें संविधान के बाद सन् 1995 में हुए चुनावों के बाद चुनी गई 3050 महिला संरपंचों में से 2000 निरक्षर थी। लेकिन सन् 2000 के दूसरे चुनाव में मात्र 900 महिला सरपंच निरक्षर थी। किन्तु उनमें से 500 से अधिक महिला सरपंच चैक पर अंगूठा नहीं लगाती है। बल्कि उन्होंने हस्ताक्षर करना सीख लिया है। इस विवरण के लेखक ने राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में रहते हुए सन् 2002 में महिला सरपंचों हेतु एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया तो पाया कि झुन्झुनूं (राजस्थान) के प्रशिक्षण केन्द्र में रात्रिकालीन सत्रों में शिक्षित महिला सरपंच अपनी निरक्षर साथियों को साक्षर बनाती थी। ताकि उन्हें 'अंगूठा टेक' के ताने से मुक्ति मिले और साथ ही फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर पंचायत सचिव द्वारा गबन के प्रकरणों से मुक्ति मिले। इसका सुपरिणाम यह हुआ है कि राजस्थान में महिला सरपंच के फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर चैक आहरित करने की शिकायतें जहां सन् 1995 से 2000 के मध्य 350 से अधिक थी, उनकी संख्या 2000–2005 के मध्य 18 ही रह गई थी। स्थिति यह है कि घूंघट में सिमटी नयी महिला सरपंच अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में सवाल करने लग जाती है। शुरूआती चरण में उसे पति, ससुर, जेठ, देवर या पुत्र के सान्निधय में कार्य करन पड़ता है। राजस्थान में आजकल सरपंच पति, प्रधान पति जैसे नये पदनाम भी प्रचलित हो रहे हैं।
5. पंचायती राज की नयी प्रणाली से छोटे परिवार की अवधारणा को बल मिला है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा हरियाणा में यह प्रावधान है कि 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति पंचायती राज का जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। राजस्थान में सन् 1997–2000 के मध्य 500 से भी अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियों इसी प्रावधान के कारण अपनी सदस्यता खो बैठे थे। राज्य उच्च न्यायालय ने भी इस प्रावधान को वैध तथा समयानुकूल ठहराया है। ऐसी स्थिति में समाज में एक सकारात्मक संदेश फैल रहा है।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्ट योजना, सम्पर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजल धारा, वाटर शैड (हरियाली) योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से लेकर बी.पी.एल. सेन्सस तक सभी ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज के माध्यम से सफलतापूर्वक हो रहा है।
7. महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिनिधियों के कारण अब विकास कार्यों की प्राथमिकताऐं बदल गई है। पूर्व में पुरूष सरपंच प्रायः सड़क, पुलिया, खरंजा, पंचायत या पटवार भवन के प्रस्ताव अधिक रखते थे। जबकि महिला जनप्रतिनिधि शौचालय, हैण्डपम्प, पीने का पानी, टीकाकरण, पोषाहार तथा ईंधन समस्या पर प्रस्ताव अधिक देती है। स्पष्ट है सामाजिक विकास एवं मानव संसाधन विकास के नये युग का सूत्रपात हो रहा है।
8. विकास कार्यों में जनसहभागिता केवल पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। वास्तविकता यह है कि आज ग्रमीण विकास एक मुद्दा है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास के अधिकार (राइट टू डिवेलपमेन्ट) को लेकर ग्रमवासी अत्यधिक जागरूक है तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विकास आवश्यकताओं को पंचायतों के दबाव में पूरा करवा रहे हैं।
9. भारत में 73वें संविधान के बाद आए क्रांतिकारी परिवर्तनों की कहानी फातिमा बी की चर्चा किए बिना सर्वथा अधूरी है। आन्ध्रप्रदेश के कुर्नुल जिले की ग्राम पंचायत कालवा की सरपंच सीट सन् 1996 में महिला उम्मीद्वार हेतु आरक्षित हुई। पति तथा अन्य महिलाओं के कहने पर काफी झिझक के बाद फातिमा बी ने फॉर्म भरा तथा चुनाव जीत गई। शीघ्र ही उसे हैदराबाद में एक सप्ताह प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। पहली बार शहर गई अनपढ़ फातिमा बी का कायाकल्प होने लगा। गांव आकर फातिमा बी ने प्रथम बार पूरे गांव को पैदल चल कर देखा, समस्याऐं जानी तथा संसाधनों का जायजा लिया। तीन बच्चों की माँ फातिमा बी ने सारा समय ग्राम विकास को समर्पित कर दिया। ईमानदारी से ठेके छूटने लगे। फातिमा बी ने गांव के दशकों पुरानें टेंक की सफाई करने का जब बीड़ा उठाया तो सभी पुरूष पीछे हट गए क्योंकि गन्दगी से भरे उस टैंक में कीड़े कुलबुला रहे थे। साहसी फातिमा बी टैंक में उतर गई देखते ही देखते 100 महिलाऐं इस कार्य में जुट गई तथा सप्ताह भर में टैंक पूरी तरह साफ हो गया। गाँव की 500 एकड़ भूमि पर सिंचाई

करने वाले इस टैंक के साफ हो जाने से गांव में पुनः गन्ने की फसल लहलहाने लगी। फातिमा बी ने निर्धन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन समूहों को ऋण मिलने लगा। फातिमा बी ने गांव के विकास हेतु एक विकास संगठन प्रोड्ड (सूर्योदय) तैयार किया। विकास एवं आन्मनिर्भर कालवा ग्रम पंचायत की तस्वीर सामने आयी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब फातिमा बी को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। अनपढ़ फातिमा बी का कालवा से न्यू यॉर्क तक का सफर पंचायती राज की डगर पर हुआ।

10. मई, 2001 में भोपाल के निकटवर्ती ब्लॉक फंदा की ग्राम पंचायत सुरैया की ग्रामसभा ने एक अनूठा निर्णय किया। इस ग्राम पंचायत में मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है ग्रामसभा में 40 वर्षीय अकरम ने प्रस्ताव रखा कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दम्पतियों पर जुर्माना लगाया जाए। ग्रामसभा में सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव के पश्चात् दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दम्पतियों पर रूपये 10 हजार का जुर्माना तथा हुक्का पानी बंद करने का प्रावधान कर दिया गया तथा राज्य सरकार को इस निर्णय की जानकारी दे दी गई।
11. अहमदाबाद के समीप स्थित हुंका ग्राम पंचायत में सन् 1995 से 2004 तक एक भी अपराध घटित नहीं हुआ। पंचायत की सरपंच शारदा पटेल के नेतृत्व में गांव के ठाकोर, पटेल, हरिजन तथा वाधरी जातियों में कमाल की समरसता व्याप्त है। इस उपलब्धि पर 9 मार्च, 2004 को पुलिस महानिदेशक, ए.के. भार्गव ने शारदा बेन को सम्मानित किया।
12. गुजरात में ही आंणद से 25 किलोमीटर पर स्थिति ग्राम पंचायत थम्मा में एक पूर्व प्रवासी भारतीय श्री चन्द्रकान्त मुखी सरपंच का कार्यभार संभाल रहे हैं। अमेरिका में रह चुके श्री मुखी ने जन सहयोग से गांव की काया ही पलट दी है।
13. अगस्त 2003 में बैगलोर के समीप स्थित ग्रम पंचायत बेलनदूर ने अपनी सम्पूर्ण कार्यवाही स्थानीय केबल के माध्यम से सजीव प्रसारित कराके नया इतिहास रचा है। इस ग्राम पंचायत को प्रथम पूर्ण कम्प्यूटरीकृत पंचायत होने का गौरव भी प्राप्त है।
14. केरल के मलापुरम जिले की ग्राम पंचायत त्रिपंगोड के गांव चामरवट्टोम को 15 अगस्त, 2003 को देश के 100 प्रतिशत कम्प्यूटर साक्षर गांव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञात रहे चामरवट्टोम गांव में 850 घर है। प्रत्येक घर से कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य है जिसे कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं निपुणता हासिल है।
15. अगस्त, 2003 में आन्ध्र प्रदेश के नलगोण्डा जिले की ग्राम पंचायत अलगडप्पा के 37 वर्षीय सरपंच वी. पाण्डूरंग राव ने अपनी दो वर्षीय कार्यकाल की समीक्षा हेतु जनता से रायशुमारी करायी। राव को इस रायशुमारी में पर्याप्त जनसमर्थन मिला। श्री राव का कहना था कि ''मैं अपनी ग्राम पंचायत को पूरे देश में ''रोल मॉडल'' के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि लोग मेरी कार्यशैली से खुश नहीं है तो मुझे निश्चित रूप से पद छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जब भी लगे कि लोगों के बीच उनका भरोसा कम हो रहा है तो उन्हें जनता के बीच रायशुमारी हेतु जाना ही चाहिए।
16. सितम्बर, 2003 में घटी एक घटना के अनुसार पश्चिम बंगाल की तामलुक जिला परिषद् के अध्यक्ष निरंजन शाह को 1 लाख रूपये की रिश्वत का प्रस्ताव देते हुए तीन व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। ये तीनों व्यक्ति निर्माण कार्य का एक ठेका अपने नाम लेना चाहते थे। यह बात स्वयं निरंजन शाह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरों को बता दी।
17. कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं में कुल 46 प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिलाए हैं। सन् 2004 की यह स्थिति इसलिए अधिक सुखद कही जायेगी कि कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 6 महिला विधायक (2 प्रतिशत) है। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर स्थानीय महिलाओं ने अपनी छवि, निष्पक्षता तथा परिश्रम से यह उपलब्धि हासिल की है।
18. सामान्यतः महिला सरपंचों के मामले में प्रयुक्त होने वाला शब्द एस.पी. (सरपंच पति) यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि महिलाएं आज भी अशक्त तथा अक्षम है तथा उनके पति, पुत्र, देवर या श्वसुर वास्तविक सत्ता भोगते हैं लेकिन राजस्थान के जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रजलाणी में सेना से रिटायर्ड फौजी स्वरूपाराम मेघवाल सन् 2005 से सरपंच है। लेकिन सरपंच पति के सारे कार्य उनकी पत्नी बाबू देवी संभालती है। अब एस.पी. शब्द का अर्थ 'सरपंच पत्नी' भी हो गया है।
19. गुजरात के पोरबन्दर जिले की बिलेश्वर 'ग्राम पंचायत' में स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर यह पुस्तकें लिखे जाने तक कभी पंचायती राज चुनाव नहीं हुए है। लगभग 1200 मतदाताओं से युक्त इस ग्राम पंचायत में निर्विरोध रूप से सरपंच एवं अन्य पंचों का चुनाव सम्पन्न होता आया है। गुजरात सरकार की नीति के अनुरूप जब सन् 2006 में इस ग्राम पंचायत की सीट महिला हेतु आरक्षित हुई तो समस्त ग्रामवासियों ने कंचनबेन भरतभाई को र्निविरोध सरपंच चुन लिया। नयी सरपंच दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है। नया सरपंच चुनते समय निव्वर्तमान पंचायत सदस्यों की राय को सर्वाधिक महत्तव दिया जाता है।

भारत गाँव प्रधान देश है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की संरचना के तीन प्रमुख आधार थे – जाति प्रथा, संयुक्त परिवार व ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की भारतीय ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्राम पंचायत के द्वारा ही गाँवों के सम्पूर्ण कार्य जैसे – शासन व्यवस्था, शान्ति, सुरक्षा एवं आपसी लड़ाई–झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें ही करती थी। पंचायतें प्राचीन भारत की आधार शिलाएँ थी। इसकी पृष्टि इसी आधार पर होती है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद व अथर्ववेद में भी मिलता है, साथ ही रामायण, महाभारत, बौद्धकाल और यहाँ तक की उत्तरवैदिक काल में भी भारतीय ग्रामों में पंचायतों का जाल बिछा था। पंचायतों का अस्तित्व सभी शासन कालों में मिलता है और सभी कालों में पंचायती राज की भूमिका अन्यन्त अहम रही है। इसी को देखते हुए शोधार्थी ने इस समस्या का चयन किया गया।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. आलपोर्ट, एफ॰एच॰ (1924) ''सोशल साइकलॉजी'' हॉगटन मिफिन कम्पनी, वोस्टन।
2. एकॉफ, आर.एल. (1965), ''दी डिजायन ऑफ सोशल रिसर्च'' दी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रैस, शिकागो।
3. अग्रवाल जी.के. एवं पाण्डेय, एस.एस. (1985) ग्रामीण समाजशास्त्र, आगरा बुक डिपो, आगरा।
4. बनार्ड, एस.फिल्प्स (1966), ''सोशल रिसर्च स्ट्रेटेजी एण्ड टैक्टिस'' मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।
5. बोगार्ड्स, ई.एस. (1954), ''इन्ट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।
6. भनौट, शिवकुमार (2000), ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'', यूनिवर्सिटी बुक डिपो, जयपुर।
7. बघेल, डी.एस. (2004) ''समाजशास्त्र'', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।

8. क्रेच, डी. एण्ड क्रेचफील्ड, आर.एस. (1955), ''दी थ्योरी एण्ड प्राब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलाजी'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन।
9. कोहन, एम.आर. एवं नॉगल, ई॰ (1934), ''इन इन्ट्रोडक्शन टू लाजिक एण्ड साइंटिफिक मैथड'', हार्कोर्ट एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।
10. चौहान, बृजराज (1967), ''लीडरशिप इन राजस्थान विलेज'', इन विद्यार्थी, एल.पी. (सम्पा॰) लीडरशिप इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
11. डेविस, किंग्सले (1961), ''ह्यूमन सोसायटी'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।
12. द्विवेदी, राधेश्याम (2002), ''मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम'', सुविधा ला हाउस, भोपाल।
13. दर्शनकर, अर्जुन (1979), ''लीडरशिप इन पंचायत राज'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
14. डैविस, आर॰ई॰ एण्ड हाई जे॰ए॰ (1971), पॉलिटिकल सोशियोलॉजी'', जोहव विकली एण्ड सन्स, लन्दन।
15. देसाई, ए.आर. (1961), ''रूरल इण्डिया इन ट्रान्जीशन'', पौपूलर बुक डिपो, बाम्बे।
16. दुवे, एस.सी. (1967), ''इण्डियाज कम्यूनिटी डबलपमेंट प्रोग्राम्स'', राजकमल प्रकाशन, देहली।
17. गुप्ता, रघुराज (1978), ''ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय परिवेश में'', विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
18. गुडे, डब्लू.जे. एण्ड हॉट पी.के. (1952), ''मैथड्स इन सोशल रिसर्च'', मैकग्रेहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क।
19. गॉगराडे, के॰डी॰ (1996), ''इमरजिंग ऑफ लीडरशिप'', रचना पब्लिकेशन, दिल्ली।
20. गवानकर, रोहिनी (2004), ''पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनी गई अनुसूचित जाति की महिला सरपंचों का अध्ययन'', अखिल भारतीय स्वराज संस्थान, मुम्बई।